मेरे खातेदारी खेत ख.नं. 335 के बीच में चल रहा है, जो सही स्थान पर नहीं है, अप्रार्थीगण के ख.नं. 323 की भूमि पर ही सड़क निर्माण करने का हक व अधिकार है। किसी व्यक्ति की खातेदारी की भूमि पर जबरन सड़क निर्माण करवाने का कोई अधिकार राज्य सरकार अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को नहीं है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अपल पड एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रकरण की इन परिस्थितियों को देखते हुए कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो / गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा उक्त विवादित भूमि की आज दिनांक की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। अतः मौजा खेरार के ख.नं. 335 रकबा 0.2671 है. व ख.नं. 323/478 रकबा 4.8400 है. भूमि में से कराणी रास्ते की भूमि को छोड़ते हुए उक्त खसरात की शेष भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे। उक्त स्थगन आदेश राजकीय विभागों के कार्य / न्यायालय द्वारा के निर्णय / डिक्री आदेशों की पालना / राजकीय [illegible] के तहत बैंक कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

पत्रावली वास्ते इन्तजार उपस्थिति अप्रार्थी जवाब / सेप हेतु दिनांक 14.06.24 को पेश हो

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जावल

14/6

पक्षकार/पक्षकारगण के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी [illegible] के भ्रमण अवकाश पर [illegible] है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 29.11.24 को प्रस्तुत करें।

29.11

पत्रावली पेशी खुल वाद को जरिये विश्राम जारिए होने से प्रा.पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रा.पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो

Scanned with CamScanner